न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 34/2025
ऑनलाईन नम्बर 2025/64

निर्णय दिनांक: 16.7.2025

1. पुष्पा पत्नि जगदीश प्रसाद
2. मुखराम पुत्र भंवरलाल

जाति जाट निवासी देराजसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

डायरेक्टर देराजसर सोलर प्राइवेट लिमिटेड

—प्रार्थीगण—

बनाम

1. शान्ति देवी पत्नि किशनाराम जाति नायक निवासी देराजसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़।

—अप्रार्थीगण—

उपस्थिति:—

1. श्री राजूराम बाना अभिभाषक प्रार्थी ।
2. श्री के.के. पुरोहित अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी संख्या 1 के नाम से खसरा नम्बर 921/35 तादादी 2.2800 हैक्टेयर रोही देराजसर में अवस्थित है। जिसका रास्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 893/31 तादादी 2.3000 हैक्टेयर में से होकर प्रार्थी संख्या 2 के खेत खसरा नम्बर 920/35 तादादी 1.7700 हैक्टेयर में से होकर जाता है जो शेरूणा से देराजसर सड़क से फटकर खसरा नम्बर 893/31 तादादी 2.3000 हैक्टेयर में से होता हुआ खसरा नम्बर 945/34 एवं 920/35 में प्रवेश करता हुआ खसरा नम्बर 920/35 तादादी 1.7700 हैक्टेयर की पश्चिमी सीमा से होता हुआ प्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 921/35 तादादी 2.2800 हैक्टेयर में प्रवेश करता है। जिसकी दूरी खसरा नम्बर 893/31 तादादी 2.300 हैक्टेयर में लगभग 100 मीटर लम्बाई एवं 5 मीटर चौडाई है जो रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 के खेत में से शुरू से ही चला आ रहा है इसी रास्ते से प्रार्थीगण शुरू से ही आते जाते रहते हैं। उक्त रास्ता शेरूणा से देराजसर सड़क से फटकर अप्रार्थीगण के खेत में से गुजरता है उक्त रास्ता शुरू से ही चला आ रहा है प्रार्थीगण के खेत का यही एकमात्र रास्ता है जिससे प्रार्थीगण अपने खेत में आता जाता है। उक्त रास्ता खसरा नम्बर 893/31 तादादी 2.3000 हैक्टेयर में से सलग्न नक्शा के अनुसार होता हुआ खसरा नम्बर 946/34, 920/35 की पश्चिमी सीमा से होता हुआ प्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 921/35 में प्रवेश करता है। जो [illegible] नजदीकी रास्ता है एवं अन्यत आवश्यकता का रास्ता है। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थीगण के आने जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.21 14:01:08 IST
Reason: SelfAttested

3
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

हेतु नही है। उक्त खेत खसरा नम्बर 893/31 तादादी 2.3000 हैक्टेयर में प्रार्थीगण का विधमान रास्ता है जिसकी चौड़ाई 5 मीटर एवं लम्बाई 100 मीटर है प्रार्थीगण का रास्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 893/31 तादादी 2.3000 हैक्टेयर रोही देराजसर के शेरूणा से देराजसर सड़क से फटकर अप्रार्थी संख्या 1 के खेत में से होता हुआ प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 921/35 तादादी 2.2800 हैक्टेयर रोही देराजसर में प्रवेश करता है। उक्त रास्ते को दर्शाते हुए नजरी फर्द मौका का नक्शा संलग्न किया जा रहा है जिसमें x से y शेरूणा से देराजसर सड़क है व लाल स्याही से मार्क a से b अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 893/31 तादादी 2.3000 हैक्टेयर जिसकी लम्बाई 100 मीटर, b से c प्रार्थी संख्या 2 के खेत खसरा नम्बर 920 तादादी 1.7700 हैक्टेयर जिसकी लम्बाई 75 मीटर खेत से गुजरता हुआ रास्ता है जिसकी कुल लम्बाई अप्रार्थी संख्या 1 के खेत में 100 मीटर है जो प्रार्थीगण के खेत में जाता है जो अन्त्यत आवश्यक एवं प्रार्थीगण के खेत तक पहुचने का एकमात्र रास्ता है उक्त रास्ता सुविधा का न होकर अत्यन्त आवश्यकता का है उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण द्वारा अपने खेत तक पहुचने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थीगण का रास्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 893/31 तादादी 2.3000 हैक्टेयर में से 100 गुणा 5 कुल क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण संख्या 1 को रास्ते के क्षेत्रफल की नियमानुसार सरकारी डी.एल.सी. दर की कीमत अदा करने को तैयार है। प्रार्थीगण इसी रास्ते से आते जाते है यही ही एकमात्र एवं अन्यन्त आवश्यकता का रास्ता होने के कारण प्रार्थीगण द्वारा कम चौड़ाई के रास्ते की मांग की गई है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा यही रास्ता मांगना आवश्यक एवं जरूरी है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के खेत रोही देराजसर में अवस्थित है जो श्रीमान् जी के क्षेत्राधिकार में होने से श्रीमान्जी को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार हासिल है । यह है कि प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद एंव पूर्ण न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है । अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी संख्या 1 के नाम से खातेदारी खेत खसरा नम्बर 921/35 तादादी 2.2800 हैक्टेयर रोही देराजसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ का रास्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 के खसरा नम्बर 893/31 तादादी 2.3000 हैक्टेयर में से 100 मीटर लम्बा गुणा 5 मीटर चौड़ा कुल 500 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 920/35 तादादी 1.7700 हैक्टेयर में से 75 मीटर लम्बा एवं 5 मीटर चौडा कुल 375 वर्गमीटर सलग्न नक्शे में दर्शाये अनुसार रास्ता को राजस्व रिकार्ड में गै.मु. कटाणी दर्ज किया का आदेश अप्रार्थीगण संख्या 2 को फरमाने की कृपा फरमावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uman Mittal
Date: 2025.07.21 14:01:08 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस[illegible] जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। स्टेट की ओर से मौका रिपोर्ट पेश की गई। अप्रार्थी संख्या 01 के अधि[illegible]ता द्वारा प्रार्थना पत्र आपित मौका रिपोर्ट पेश की गई। प्रार्थी अधिवक्ता को जवाब आप[illegible] मौका रिपोर्ट पेश करनें हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी जवाब आपति मौका रिपोर्ट पेश नहीं किये जाने के

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

कारण प्रार्थी को जवाब आपति मौका रिपोर्ट पेश करनें का अवसर बन्द किया गया। बहस प्रार्थना पत्र आपति मौका रिपोर्ट पर सुनी गई।

अप्रार्थी संख्या 01 ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि भू.अभिलेख निरीक्षक द्वारा श्रीमान के समक्ष जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है वह पूर्णतया गलत व बेबुनियादी है। भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौका रिर्पोट से पूर्व आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। अप्रार्थी संख्या 1 को किसी भी प्रकार की मौका रिपोर्ट से पूर्व कोई लिखित या मौखिक सूचना नहीं दी गई है। भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा अवैध रूप से प्रार्थीगण को लाभ पहुंचानें के लिये बाला–बाला ही रिपोर्ट अपनी मर्जी से तैयार कर पेश की है जो खारिज किये जाने योग्य है एवं उपरोक्त रास्ता के संबंध में पुनः विस्तृत मौका रिपोर्ट पक्षकारों को सूचना देकर रिपोर्ट मंगवाई जावें।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता के कथनों का खंडन करतें हुए कथन किया गया कि भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के पुत्र की उपस्थिति में यह मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की गई है। अप्रार्थी संख्या 01 केवल मात्र प्रार्थना पत्र को देरिना करना चाहतें है इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है एवं अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत आपति मौका रिपोर्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं तहसीलदार श्री डूंगरगढ द्वार प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। भू. अभिलेख निरीक्षक द्वारा पटवारी हल्का के साथ अप्रार्थी संख्या 01 के पुत्र की मौजूदगी में मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की गई है। मौका रिपोर्ट में अप्रार्थी संख्या 01 के हस्ताक्षर मौजूद है। जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त मौका रिपोर्ट अप्रार्थी संख्या 01 के पुत्र की उपस्थिति मे तैयार कर प्रस्तुत की गई है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आपति मौका रिपोर्ट पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

बहस उभयपक्षकरान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस का खंडन करतें हुए कथन किया गया कि खेत खसरा नम्बर 921/35, 920/35 रोही के [illegible] पूर्व में एकल खेत था। अप्रार्थी संख्या 1 खेत खसरा नम्बर 993/31 तादादी 2.3000 [illegible] के पूर्वी तरफ सींव, सींव सड़क से फंट कर खसरा नम्बर [illegible] 35, तथा 921/35, 920/35 में प्रवेश करता था फिर उक्त रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 के उतरी तरफ के खसरा नम्बर 921/32, 920/35,

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.21 14:01:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

946/34, 945/34, 33, 32 की दक्षिणी सीमा पर अवस्थित था और उक्त सभी खातेदारान उक्त रास्ता अनुसार ही आवागमन करते थे व आज भी करते है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने खेत के पूर्व की तरफ स्थित रास्ते की भुमि पर किसी प्रकार आवागमन हेतू मना नही किया है लेकिन प्रार्थीगण येन केन प्रकारेण अप्रार्थी संख्या 1 के खेत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते है जिससे अप्रार्थी संख्या 1 अपने खेत मे काश्त इत्यादि नही कर सके ओर दबाब में आकर उक्त खेत प्रार्थीगण को विक्रय कर दे। अप्रार्थी संख्या 1 अनुसुचित जाति की विधवा महिला है। प्रार्थीगण काफी धनाढय पुंजिपति राजनितिक पंहुच वाले व्यक्ति है । अप्रार्थी संख्या 1 ने कभी भी रास्ता के आवागमन हेतू मना नही किया है । अप्रार्थी संख्या 1 के पुर्व की सीमा पर रास्ता छोड़ा हुआ है। उक्त रास्ते से काफी समय से प्रार्थीगण उपयोग उपभोग कर रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 का रकबा काफि छोटा है। प्रार्थीगण ने अपने राजनैतिक व धन बल का उपयोग करते हुये हल्का पटवारी व गिरदावर से मिलीभगत कर अप्रार्थी संख्या 1 को बिना किसी सूचना के बाला बाला ही रिर्पोट तैयार की है। अप्रार्थी संख्या 1 के खेत में कोई कटाणी रास्ता प्रार्थीगण के खेत कर लिये नही है एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करनें का निवेदन किया गया।

हमनें उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावजो एवं तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वार प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं नक्शा का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 921/35 तादादी 2.2800 हैक्टेयर रोही देराजसर तहसील श्रीडूंगरगढ में आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है परन्तु प्रार्थी द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार रास्ते की मांग की गई है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता आवश्यकता को ना होकर सुविधा का है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क के अनुसार चाहा गया रास्ता सुविधा का न होकर अन्त्यन्त आवश्यकता का होना चाहिए एवं वैकल्पिक रास्ता का अभाव होना चाहिए। प्रार्थी द्वारा केवल अपनी सुविधानुसार रास्ते की मांग की गई है। लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 16.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.21 14:01:08 IST
Reason: SelfAttested